संख्या-5/2015/547/44-1-2015-03 उ0वे0रि0/2001

प्रेषक,

डा0 सूर्य प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक विभाग के
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 28 मई,2015

विषय- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अवर अभियन्ताओं के लिये ए0सी0पी0 की व्यवस्था अनुमन्य कराने के संबंध में ।

महोदय,

सार्वजनिक उपक्रम/ निगम अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पर अपने कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों की भांति समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था राज्य कर्मचारियों के अनुरूप अलग से लागू कराये जाने हेतु सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 2/2015-288/44-1-2015-03 उ0वे0रि0/2001, दिनांक 16 मार्च,2015 के क्रम में राजकीय विभागों के अवर अभियन्ताओं के सादृश्य सार्वजनिक उपक्रम/निगम,स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, विकास प्राधिकरण एवं स्वशासी संस्थाओं के अवर अभियन्ताओं के लिये ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था अनुमन्य कराये जाने विषयक निर्गत वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-23/2015/वे0आ0-2-258/दस-62(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 29 अप्रैल,2015 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजने का मुझे निदेश हुआ है ।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डा0 सूर्य प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-5/2015/547/44-1-2015-03 उ0वे0रि0/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
2- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम व्यूरो,242-जवाहर भवन,लखनऊ ।
3- संयुक्त निदेशक/ वेबमास्टर, सार्वजनिक उद्यम व्यूरो को सार्वजनिक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु ।
4- वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग-1/2 ।
5- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मुरारी लाल)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 23/2015/वे0आ0-2-258/दस-62(एम)/2008 टी0सी0

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 29 अप्रैल, 2015**

विषयः- सार्वजनिक उपक्रम/ निगम, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, विकास प्राधिकरण एवं स्वशासी संस्थाओं के अवर अभियन्ताओं के लिये ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके नियन्त्रणाधीन विभाग के अन्तर्गत विद्यमान ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/ निगम, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, विकास प्राधिकरण एवं स्वशासी संस्थाओं, जहाँ पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू की जा चुकी है, के अवर अभियन्ताओं को राजकीय विभागों के अवर अभियन्ताओं के सादृश्य पर ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था निम्नवत् लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) अवर अभियन्ता वेतन बैण्ड-2 ग्रेड वेतन रू0 4200 के पदों पर 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 4600 के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 4800 इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित संस्था/निगम द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से वहन किया जायेगा और इस अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु सम्बन्धित संस्था की वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्षमता का परीक्षण उसी प्रक्रियानुसार किया जायेगा जैसा कि पुनरीक्षित वेतन संरचना अनुमन्य कराये जाने हेतु किया गया था।

(2) उक्त अवर अभियन्ता पदधारकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन संस्था/निगम में वर्तमान में लागू सामान्य व्यवस्था के अनुसार देय होगें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने नियन्त्रणाधीन विभाग के अन्तर्गत विद्यमान संस्था/निगम में उपरोक्त विशिष्ट व्यवस्था लागू किये जाने हेतु अपेक्षित आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराये जायेगें।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या- 23/2015/वे0आ0-2-258(1)/दस-62(एम)/2008 टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।